बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र06–आवंटन–01/2014– 1776 खाद्य, पटना/दिनांक– 24/04/2020

प्रेषक,

दिनेश कुमार, भा0प्र0से0
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 7149 दिनांक 04.09.2015 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत खाद्यान्न का उपावंटन किया गया है। विभाग द्वारा उक्त योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्न के उपावंटन के पश्चात् विभिन्न जिलों द्वारा RTPS के तहत निर्गत नये राशन कार्ड के आधार पर अतिरिक्त खाद्यान्न की मांग की जा रही है। इस स्थिति में शामिल किये गये नये पात्र गृहस्थियों/व्यक्तियों की संख्या दर्शाते हुए पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में खाद्यान्न की आवश्यकता का आकलन कर खाद्यान्न की अधियाचना की जाय।

अतः अनुरोध है कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उपावंटन के पश्चात् अतिरिक्त खाद्यान्न की अधियाचना विभाग को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि इसके आधार पर समेकित रूप से भारत सरकार से अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त किया जा सके।

विश्वासभाजन,

निदेशक।

ज्ञापांक–प्र06–आवंटन–01/2014– 1776 खाद्य, पटना/दिनांक– 24/04/2020
प्रतिलिपि– अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निदेशक।

D:\YEAR = 2020\SEC = 06 (SIX)\AVINASH JEE-2020.doc